न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 6/2018/निगरानी/एल0आर0एक्ट/बांरा
दायरा दिनांक 2.7.2018
किस्म अपीलः धारा 327 नगर पालिका अधिनियम 2009

उनवान

1. फातिमा पुत्री हाफिज मोहम्मद
2. आयशा पुत्री हाफिज मोाहम्मद
3. राबिया पुत्री हाफिज मोहम्मद निवासीगण छबडा तहसील छबडा जिला बांरा।
4. रफीका बेवा अब्दुल रहमान
5. मुजीबुर्रहमान पुत्र अब्दुल रहमान
6. नाहिद नफीस पुत्री अब्दुल रहमान निवासीगण छबडा जिला बांरा।
7. रजिया बेवा खलीलुर्रहमान
8. अब्दुल रहीम पुत्र मोहम्मद इस्माईल खां निवासीगण छबडा जिला बांरा जरिये मुख्तार––
   1.नजीबुर्रहमान पुत्र अब्दुल रहमान
   2.अब्दुल रहीम पुत्र मोहम्मद इस्माईल खां निवासीगण छबडा जिला बांरा।

..... निगराकार

बनाम

1. अध्यक्ष नगर पालिका छबडा
2. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका छबडा
3. अब्दुल सलाम पुत्र अब्दुल रजाक मृतक जरिये कायम मुकामान–
   3/1– श्रीमती जरीना बेवा अब्दुल रहमान
   3/2– अब्दुल रहीम पुत्र अब्दुल सलाम
   3/3– रजिया पुत्री अब्दुल सलाम
   3/4– अब्दुल करीम पुत्र अब्दुल सलाम आयु 17 वर्ष
   3/5– अकीला आयु 14 वर्ष पुत्री अब्दुल सलाम नाबालिगान जरिये वली माता जरीना निवासीगण छबडा जिला बांरा।
4. अब्दुल रजाक पुत्र छोटे खां निवासी छबडा जिला बांरा।

.....गैर निगराकार

उपस्थित : श्री सईद अहमद अभिभाषक निगराकार
श्री अनिलशर्मा अभिभाषक गैर निगराकार क्रम 1 व 2
श्री जितेन्द्र चौरसिया अभिभाषक गैर निगराकार क्रम 3/1 ता 3/5 व 4

:: निर्णय ::

दिनांक 8.3.2021

1 निगराकार यह निगरानी अन्तर्गत धारा 327 नगर पालिका अधिनियम 2009 अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बांरा द्वारा प्रकरण संख्या 02/2015 अन्तर्गत धारा 73 (2) नगर पालिका अधिनियम अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 21.4.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे पेश की गई।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

2 निगरानी के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूखण्ड सं0 2 व 27 निगराकार के खरीद शुदा प्लाट है और इन प्लाटो पर निगराकार का कब्जा है। गैरनिगराकार का इन प्लाटों पर कब्जा नही है। नगर पालिका छबडा ने उक्त भूखण्ड का आवंटन दिनांक 10.12.2001 को गैर निगराकार नं0 3 के पक्ष मे करके आवंटन पत्र गलत रूप से जारी कर दिया जिसकी जानकारी निगराकार को दिनांक 11.2.2015 को होने पर तुरन्त अधीनस्थ न्यायालय मे कार्यवाही पेश गई जिसमे गैर निगराकार सं0 3 की मृत्यु हो चुकी थी इसकी जानकारी होते ही निगराकार ने एक प्रार्थना पत्र उसके कायम मुकामान के नाम साहित अधीनस्थ न्यायालय मे पेश कर गैर निग0 क्रम 3 के कायम मुकामान को टाईटल मे अंकित करने बावत पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त कर निगराकार की कार्यवाही भी खारिज कर दी गई जबकि जेरकार कार्यवाही मे गैरनिगराकार नं0 1 व 2 के विरूद्ध रिलीफ चाही गई थी ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय को उक्त निगरानी का गुणावगुण के आधार पर अंतिम रूप से निस्तारण करना चाहिये था जो नही किया अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कानून न्याय एवं तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश मात्र कयास के आधार पर पारित किया है। जेरकार कार्यवाही मे आदेश 22 सीपीसी की पालना आवश्यक नही है इस कारण भी आदेश खिलाफ कानून है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर निर्णय जेर निगरानी दिनांक 21.4.17 निरस्त किया जावे तथा निगराकार का प्रार्थना पत्र संशोधित टाईटल मे गैर निगराकार नं0 3 के कायम मुकामान का नाम जुडवाये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निगरानी को मेरिटस पर निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे।

3 निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगराकार को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

4 निगराकार के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे निगरानी मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने गैरनिग0 क्रम 3 के कायममुकान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र खारिज करने के साथ निगरानी को भी निर्णय दिनांक 21.4.2017 से खारिज करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिविरूद्ध होने से अपास्त किया जाकर निगराकार का प्रार्थना पत्र संशोधित टाईटल मे गैर निगराकार नं0 3 के कायम मुकामान का नाम जुडवाये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निगरानी को मेरिटस पर निस्तारण करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे।

5 विद्वान अभिभाषक गैरनिगराकार बहस मे जाहिर किया कि गैर निग0 सं0 3 अब्दुल सलाम वर्ष 2003 मे ही फौत हो गया है। निगराकार ने अधीनस्थ न्यायालय मे मृतक के विरूद्ध कार्यवाही पेश की है जो चलने योग्य नही होने से प्रार्थना पत्र संशोधित टाईटल पेश करने की अनुमति का निरस्त कर निगरानी निर्णय दिनांक 21.4.2017 से खारिज की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

6 हमने पत्रवली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया। निगराकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे निगरानी भू आवंटन पत्र दिनांक 10.12.2001 बावत भूखण्ड संख्या 1, 2, 27 विकास नगर कॉलोनी छबडा से व्यथित होकर राज0 नगर पालिका अधिनियम की धारा 73(2) के अन्तर्गत 1. अध्यक्ष न0 पा0, 2.अधिशाषी अधिकारी न0पा0

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

छबडा तथा अब्दुल सलाम पुत्र अब्दुल रजाक नि0 छबडा 4. अब्दुल रजाक पुत्र छोटे खां के विरूद्ध पेश की गई। उक्त उनवानी प्रकरण मे दिनांक 18.5.2015 को निगराकार की ओर से एक प्रार्थना पत्र गैर निग0 सं0 3 अब्दुल सलाम की पूर्व मे ही मृत्यु हो गई है सहवन से शीर्षक निगरानी मे उसका नाम गलत टाईप हो गया अतः गैर निग0 नं0 3 के नात पते के बाद मृतक शब्द दर्ज किया जाकर मृतक के जायज वारिसान एवं उत्तराधिकारी शीर्षक निगरानी मे दर्ज कर संशोधित टाईटल पेश करने की अनुमति हेतु पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक के विरूद्ध की गई कार्यवाही चलने योग्य नही होने से निगराकारान की ओर से प्रस्तुत उक्त आशय का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर निगरानी निर्णय दिनांक 21.4.2017 खारिज की गई। प्रश्नगत प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक निग0 का मुख्य तर्क है कि गैर निग0 की मृत्यु की जानकारी होने पर अपील शीर्षक मे मृतक शब्द दर्ज कर मृतक के कायम मुकामान का संशोधित टाईटल पेश करने की अनुमति बावत पेश किया था जिसे खारिज कर निगरानी को गुणावगुण पर विचार किये बिना ही खारिज करने मे विधिक त्रुटि की है। विद्वान अभिभाषक निग0 के तर्क के संबध मे पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि निगराकार द्वारा निगरानी मृतक अब्दुल सलाम (गैरनिग0सं0 3) के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय पेश की गई जबकि अब्दुल सलाम की मृत्यु दिनांक 7.7.2003 को ही हो चुकी है। ऐसी स्थिति मे निगराकार का यह तर्क कि उसको अधीनस्थ न्यायालय मे निगरानी पेश करने तक जानकारी नही हो पाई। यह तथ्य मानने योग्य नही है। यहां यह तथ्य भी विवेचनीय है कि निगराकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे निगरानी दिनांक 4.3.2015 को पेश की है जबकि गैर निग0 सं0 3 अब्दुल सलाम की दिनांक 7.7.2003 को ही मृत्यु हो चुकी थी ऐसी स्थिति मे निगरानी पेश करने तक जानकारी नही होने संबधी तथ्य विश्वसनीय नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे तथ्यों का समुचित परीक्षण मृतक के विरूद्ध की गई कार्यवाही चलने योग्य नही होने से निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बावत संशोधित टाईटल पेश करने की अनुमति निरस्त करते हुये निगरानी निर्णय दिनांक 21.4.2021 से खारिज की है जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक एंव तथ्यात्मक त्रुटि नही पाते है। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण सं0 2/2015 बउनवान फातमा वगे. बनाम अध्यक्ष न0 पा0 आदि मे पारित निर्णय दिनांक 21.4.2017 न्यायोचित होने से निगराकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 8.3.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया/टंकित करवाया जाकर, बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

8/3/2021

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा